राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

के अंतर्गत

राज्य स्तर पर स्वीकृत संविदा पदों की

एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड

के माध्यम से भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 2014–15

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर पर स्वीकृत संविदा पदों पर भर्ती के लिए एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **संविदा पद का विवरण :–**

क्र.	संविदा पद का नाम	स्वीकृत संविदा पद संख्या
1	**सलाहकार – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी (M&E Officer Consultant)**	**1**
2	**सलाहकार लेखापाल (Consultant Accounts)**	**1**
3	**डाटा सहायक (Data Assistant)**	**1**
4	**सामुदायिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण अधिकारी (Community processes and capacity building officer)**	**1**

2. संविदा सलाहकार – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी, सामुदायिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण अधिकारी, सलाहकार लेखापाल एवं डाटा सहायक का पद एक पदीय संवर्ग **(Single Post Cadre)** हैं अर्थात उस संवर्ग हेतु राज्य में केवल एक ही पद स्वीकृत है। अतः एक पदीय संवर्ग पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनाकं 19/09/2002 अनुसार किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा

3. **चयन प्रक्रिया –**

3.1 एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एवं **परिशिष्ट 1–4** पर दर्शाये 100 अंकों के स्कोरिंग प्रपत्र अनुरूप आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग की जायेगी।

3.2 साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हता संबंधी दस्तावेज़ों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति व मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे। यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी वांछित अर्हता नहीं रखता है तो उसका आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

3.3 अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा निम्न दस्तावेज़ की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करने होंगें एवं मूल दस्तावेज़ भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगेः–

- हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
- संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
- संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
- कार्यानुभव हेतु शासकीय संस्थान/गैर शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस./ई.पी.एफ. कटौत्रा/मानदेय वाउचर संबंधी छायाप्रति अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति।

3.4. **उपरोक्त समस्त दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी दस्तावेज़ों के असत्य पाये जाने पर अभ्यार्थी की उम्मीदवारी अमान्य की जा सकेगी।**

3.5 दस्तावेज परीक्षण में उपयुक्त पाये गये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा शॉर्ट लिस्टिेड आवेदकों का विभागीय साक्षात्कार किया जायेगा।

3.6 साक्षात्कार हेतु 10 अंक निहित है जिसमें अंको का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा :–

S.No	Description	Alloted Marks
1	Subject Specific Knowledge	2
2	Awareness regarding Public Health Issues, especially in Urban Health in MP context.	2
3	Comprehension of Urban Health scenario in MP	2
4	Communication and Presentation skills	2
5	Relevant Experience and Trainings	2

3.7 साक्षात्कार उपरांत आरक्षण विवरण अनुसार वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची, एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा तैयार की जायेगी।

3.8 वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जायेगा।

3.9 वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जायेगा।

3.10 संविदा राज्य स्तरीय पदों हेतु साक्षात्कार के प्राप्तांको को जोड़कर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र. को शॉर्ट लिस्टेड आवेदक की वरीयता सूची 1:5 के अनुपात में उपलब्ध करायी जायेगी।

3.11. वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एस.एम.एस. तथा ई–मेल से सूचित किया जायेगा। अतः आवेदकों को अपना सही मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

4. तालिका में दर्शाये अनुसार समस्त संविदा कर्मचारियों की पदस्थापना राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय में की जायेगी।

5. राज्य स्तरीय पदों पर पदस्थापना हेतु नियुक्ति आदेश मिशन संचालक, के अनुमोदन उपरांत राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत संचालक स्तरीय अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

6. चयनित संविदा अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।

7. निर्हतायें:–

7.1 उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्त्रोत से किया गया कोई भी प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

7.2 **कूटरचित अभिलेख**/फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने एवं चयन के समय जानकारी छिपाने पर।

7.3 **कदाचरण संबंधी** – शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत अथवा नैतिक पतन के दण्डित कर्मचारी को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7.4 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध **अपराधिक प्रकरण** दर्ज हों अथवा किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो, को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7.5 ऐसे अभ्यर्थी जिनके **दो से अधिक संतान** हों, जिसमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, उन्हे संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म हो।

7.6 विवाह संबंधी – ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवाह नियत की गई न्यूनतम आयु अर्थात पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले हुई हो, उन्हे संविदा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

7.7 **वरीयता सूची एवं अंतिम सूची की वैधता** – वरीयता सूची एवं अंतिम सूची की वैधता सूची जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए होगी।

8. संविदा अवधि एवं संविदा नियम –

8.1 उपरोक्त संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2015 तक के लिए होगी। उक्त अवधि के पश्चात कर्मचारी के कार्य आधाारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने तथा भारत सरकार से पद की निरंतरता स्वीकृत होने पर नियुक्ति अवधि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

8.2 संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।

8.3 संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थानांतरण का प्रावधान नहीं होगा, परन्तु प्रशासकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थापना स्थल के परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

8.4 उपरोक्त पदों पर आवेदन के लिए नवीन अभ्यर्थियों हेतु संविदा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। अनारक्षित महिला तथा आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिये आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2014 से की जावेगी।

8.5 संविदा कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। इस अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। यदि किसी न्यायोचित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी।

8.6 राज्य स्वास्थ्य समिति एवं संविदा कर्मचारी के मध्य नियोक्ता–कर्मचारी के संबंध होंगे। संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एकमुश्त मानदेय राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।

8.7 नियुक्ति उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके नियुक्ति स्थान पर निवास करना अनिवार्य होगा।

8.8 संविदा कर्मचारी को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।

8.9 संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दोषी पाये जाने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

8.10 राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों से संविदा नियुक्ति एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

8.11 संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो राज्य स्वास्थ्य समिति को एक माह की पूर्व सूचना अथवा उक्त समिति के खाते में एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि जमा करना होगी।

9. मासिक मानदेय :–

9.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारी को **परिशिष्ट-5** पर दर्शायें गये अनुसार प्रतिमाह एकमुश्त मासिक मानदेय राशि का ई–भुगतान किया जायेगा।

9.2 **महंगाई एवं अन्य भत्ते** – गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।

10. टी.डी.एस. कटौत्रा –संविदा कर्मचारी की मासिक मानदेय राशि में से प्रतिमाह टी.डी.एस. कटौत्रा किया जायेगा।

11. अवकाश –

11.1 **आकस्मिक अवकाश** – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

11.2 किसी भी एक समय पर 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु निरंतर आकस्मिक अवकाश की पात्रता नहीं होगी। 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।

11.3 एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।

11.4 मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा कर्मचारी द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

11.5 कार्य सुविधा की दृष्टि से निर्देशानुसार शासकीय अवकाश दिवसों पर भी आवश्यकता पड़ने पर संविदा कर्मचारी को उपस्थित होना पड़ेगा।

11.6 **चिकित्सा अवकाश** – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिवस की चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

11.7 3 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.8 7 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11.9 चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में अग्रणित नहीं किया जायेगा।

11.10 पुरूष संविदा कर्मचारीको 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी।

11.11 पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

11.12 पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से पदस्थापना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को को होगा।

12. अनुबंध –

12.1 संविदा कर्मचारी द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि 100/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।

12.2 उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र के अधिकृत अधिकारी एवं संविदा कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

12.3 अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

12.4 चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा सेवा में माना जायेगा।

12.5 संविदा अवधि की समाप्ति पर कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर योग्य पाये जाने पर संविदा अवधि की वृद्वि निर्धारित अवधि हेतु की जा सकेगी। इस हेतु अनुबंध का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा। संविदा अवधि के नवीनीकरण के समय संविदा कर्मचारी को राशि 100/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर पुनः अनुबंध निष्पादित करना होगा।

12.6 अनुबंध अवधि में दी गई सेवाओं के लिए कोई पेंशन, ग्रेज्यूटी, बोनस, अन्य किसी भी प्रकार के स्वत्वों अथवा नियमित शासकीय सेवा के दावे आदि की पात्रता नहीं होगी।

12.7 अनुबंध के आधार पर सेवा में नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. अन्य नियम –

13.1 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

13.2 संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।

13.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

13.4 नियुक्ति उपरांत नियुक्त कर्मचारी द्वारा कदाचार या किसी अपराधिक क्रिया कलाप में लिप्त होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त कर्मचारी की संविदा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

13.5 यदि संविदा पर नियुक्त कोई कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

13.6 संविदा कर्मचारी की नियुक्ति अथवा संविदा अवधि में किसी भी प्रकार की विवाद की दशा में भोपाल जिला न्यायालय की अधिकारिता होगी।

13.7 नियुक्ति उपरांत किसी भी समय पर संविदा कर्मचारी द्वारा वित्तीय अनियमितता में दोष सिद्ध होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

13.8 संविदा पद हेतु प्रदर्शित पद संख्या परिवर्तनशील है, जिसे भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

13.9 ऑनलाइन आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा। त्रुटि सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विभाग द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा। उपरोक्त के संबंध में.स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटिवश जिलो के चयन/लिंग/जाति/विकलांग श्रेणी के संबंध में गलत अंकन के फलस्वरुप यदि अभ्यर्थी चयनित होता है तो दस्तावेज परीक्षण उपरांत उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी। इस संबंध में कोई दावे स्वीकार्य नही होगें।

13.10 नियुक्ति आदेश में पदस्थल आवंटन उपरांत, कोई भी आवेदन स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण/पदस्थल परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

संविदा सलाहकार – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड
कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	**किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।**	**अनिवार्य :–** • MCA or Post graduate in Computer Science with AICTE approved University • MSc(Computer/IT) with AICTE approved University • PG Degree in Health Informatics from AICTE/UGC Recognized Universities **(Any of the above)**	60	**1.** अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। **2.** वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। **3.** वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। **4.** **उदाहरणार्थ –** • यदि उत्तीर्ण योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 60% = 30 अंक प्राप्त होंगे।
	अधिकतम प्राप्तांक		**60**	
2	**अनिवाय पूर्व अनुभव (Post Qualification)**		20	
	• शासकीय/अशासकीय संस्था में डाटा संधारण तथा साफटवेयर पर ऑनलाईन कार्य का कम से कम दो वर्ष का नियमित कार्यानुभव।	4 वर्ष अथवा अधिक		20 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
		2 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**20**	
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में न्यूनतम 6 महीने का नियमित डाटा एण्ट्री का नियमित कार्यानुभव	2 वर्ष अथवा अधिक	**10**	10 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		7 अंक
		6 माह अथवा अधिक		5 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**10**	
3	**विभागीय साक्षात्कार**		10	10 अंक

*** अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

<u>परिशिष्ट–2</u>

संविदा सलाहकार लेखापाल के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड
कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	**किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।**	**अनिवार्य :–** • CA Inter • ICWA Inter • (Certificate of Indian Institute of CA of India, Inter ICWA) • AICTE recognized MBA Finance (Minimum 60%) • M.Com (Minimum 60%) **(पॉच वर्ष के अनुभव के साथ उपरोक्त में से कोई भी)**	60	**1.** अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। **2.** दर्शाये वांछनीय शैक्षणिक योग्यता को अतिरिक्त 10 अंक का वेटेज दिया जाये। **3.** वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। **4.** वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। **5.** <u>उदाहरणार्थ –</u> • योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 60% = 30 अंक प्राप्त होंगे।
		वांछनीयः–		
		• CA Inter • ICWA Inter	10	
	अधिकतम प्राप्तांक		**70**	
2	**अनिवार्य पूर्व अनुभव** At least 5 years of regular post qualification experience in related field	10 वर्ष अथवा अधिक	10	10 अंक
		7 वर्ष अथवा अधिक		7 अंक
		5 वर्ष अथवा अधिक		5 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**10**	
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में वित्त/लेखा/अंकेषण में नियमित कार्यानुभव	5 वर्ष अथवा अधिक	10	10 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		7 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		5 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**10**	
3	**विभागीय साक्षात्कार**		10	10 अंक

*** अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

<u>**परिशिष्ट–3**</u>

संविदा डाटा सहायक के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड
कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	**किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।**	**अनिवार्य :–** • 12th + "O " Level Certificate/PGDCA/ITI-COPA+ with AICTE APPROVED DCA अथवा • Polytechnic Diploma in Computer sciences /IT with AICTE approved University	50	1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। 2. वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। 3. वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। 4. <u>उदाहरणार्थ –</u> • योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 50% = 25 अंक प्राप्त होंगे।
		वांछनीय:– • MSc (Computer/IT) with AICTE approved University अथवा • MCA or Post graduate in Computer Science with AICTE approved University	10	
		अधिकतम प्राप्तांक	**60**	
2	लेख शिक्षण संचालनालय शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा म.प्र.(स्कूल शिक्षा विभाग)से हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होना	हिन्दी टाइपिंग–न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनिट या अधिक एवं अंग्रेजी टाइपिंग –न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनिट या अधिक	20	
	अधिकतम प्राप्तांक		**20**	
2	**अनिवार्य पूर्व अनुभव (Post Qualification)** किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 2 वर्ष का डाटा एण्ट्री का नियमित कार्यानुभव।	5 वर्ष अथवा अधिक	10	10 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		7 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		5 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**10**	
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में न्यूनतम 6 महीने का नियमित डाटा एण्ट्री का नियमित कार्यानुभव	2 वर्ष अथवा अधिक	**10**	10 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		7 अंक
		6 माह अथवा अधिक		5 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**10**	

*** अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति**

संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–4

संविदा सामुदायिक प्रकिया एवं प्रशिक्षण अधिकारी के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड
कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	**किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।**	**अनिवार्य :–** • मास्टर डिग्री समाज कार्य • मास्टर डिग्री सामाजिक विज्ञान • एम.बी.ए. (वित्त को छोड़कर) **(उपरोक्त में से कोई भी)**	60	1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। 2. वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। 3. वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। 4. <u>उदाहरणार्थ –</u> • यदि योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 60% = 30 अंक प्राप्त होंगे। • कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पर विभाग द्वारा साक्षात्कार के दौरान Competency Assesment किया जा सकेगा।
	अधिकतम प्राप्तांक		**60**	
2	**अनिवार्य पूर्व अनुभव (Post Qualification)**		10	
	• सामाजिक क्षेत्र में शासकीय/गैर शासकीय संस्थाओं के साथ सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम में 3 वर्ष का नियमित कार्यानुभव।	5 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
		4 वर्ष अथवा अधिक		7 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		5 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		**10**	
	अनिवार्य पूर्व अनुभव (Post Qualification)		10	
	• स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 01 वर्ष का नियमित कार्यानुभव। • कम्प्यूटर कार्य में दक्षता।	3 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
		2 वर्ष अथवा अधिक		7 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		5 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		10	
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सामुदायिक प्रक्रिया कार्यानुभव	2 अंक प्रतिवर्ष, पूर्णकालिक रुप से कार्य संपादन हेतु		अधिकतम देय अंक 10
	अधिकतम प्राप्तांक		**10**	
3	**विभागीय साक्षात्कार**		10	10 अंक

* * अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–5

संविदा पद हेतु मासिक मानदेय राशि का विवरण

क्र.	संविदा पद का नाम	स्वीकृत रिक्त संविदा पद संख्या	* प्रस्तावित मासिक मानदेय राशि (रू)
1	सलाहकार – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी **(M&E Officer Consultant)**	1	33000 /-
2	सलाहकार लेखापाल **(Consultant Accounts)**	1	MBA/M.Com - 20000 Inter ICWA/Inter CA- 30000
3	डाटा सहायक **(Data Assistant)**	1	10000 /-
4	सामुदायिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण अधिकारी **(Community processes and capacity building officer)**	1	30000 /-

<u>*Subject to the approval from GoI.</u>

संविदा सलाहकार – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी के कार्यदायित्व

- शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित सभी प्रतिवेदनो, दस्तावेजो व जानकारीयों सत्यापन , अध्यनीकरण एवं संधारण करना , तथा विभिन्न कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदन तैयार करना।
- MCTS साफ्टवेयर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो ,शहरी बस्तियों व झुग्गियो से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी डाटा व जानकारी एकत्रित करवाना सुनिश्चित करें। MCTS साफ्टवेयर संबंधी समस्या का निवारण ।
- शहरी स्वास्थ्य सस्थाओं मे एच.एम.आई.एस द्वारा रिर्पोटिगं के सिस्टम का सुदढ़ीकरण करना।
- शहरी क्षैत्रो में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रो की मॉनिटिरिंग के लिये विभिन्न पत्रक तैयार करना तथा उन्हे लागू करवाना।
- HMIS, MCTS व मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रो की मॉनिटिरिंग के लिये जिला व शहरी कार्यक्रम प्रबंधंन इकाई को तकनीकि सहयोग प्रदान करना।
- शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने के दौरान डाटा संग्रह तथा बजट तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न बैठको व कार्यशालाओं की तैयारी हेतु जिलो व शहरो हेतु जानकारी प्रदान करने के लिये फार्मेट तैयार कर भेजना।
- शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य , शहरी आशा , महिला आरोग्य समिति , वार्ड कल्याण समिति राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ,शहरी स्वास्थ्य एवं पोंषण दिवस, शहरी शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम SNCU, NBC, NBSU ,आदि के निष्पादन की मॉनिटिरिंग करना।
- जिला व शहरी कार्यक्रम प्रबंधंन इकाई से शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी विभिन्न जानकारी व रिर्पोट एकत्रित करना।
- शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी Books of account मैन्यूअल व TALLY रखना।
- अधीनस्थ सहकर्मीयों की HMIS, MCTS व मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रो संबंधी रिकार्ड रखने व मॉनिटिरिंग हेतु क्षमता वृद्धि करना।

संविदा सलाहकार लेखापाल के कार्यदायित्व

- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय स्थिति की नियमित जॉच ताकि भारत सरकार को समय पर फंड रिलीज करने के लिये कहा जा सके
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम अनुभाग में उपलब्ध बजट प्रावधान की जॉच करना व अनुमोदन के लिये उच्च अधिकारी को भेजना।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रम घटकों के अंतर्गम धन के उपयोग ऑडिट स्टेटमेंट बयान, व्यय के तरीकों पर डेटा विश्लेषण।
- विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार कर उसे जिलों व शहरों को भेजना।

संविदा डाटा सहायक के कार्यदायित्व

- हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर कार्य करना।
- डाटा एण्ट्री कार्य ।
- जिलो के साथ रिर्पोट प्राप्त करने हेतु समन्वय।
- अन्य कार्यालयीन कार्य।

संविदा सामुदायिक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण अधिकारी के कार्यदायित्व

- शहरी क्षेत्र में सामुदायिक प्रकिया हेतु विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिये कार्ययोजना तैयार करना।
- मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में शहरी आशा के चुनाव तथा महिला आरोग्य समितियों के गठन में मार्गदर्शन करना।
- सामुदायिक गतिकरण संबंधी प्रशिक्षण माड्यूल, हेन्ड आउट्स व आई.ई.सी. सामग्री तैयार करना तथा उक्त गतिविधियों के संचालन के लिये मार्गदर्शिका तैयार करना।
- राज्य सलाहकार के साथ मिलकर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के संभावित रास्ते खोजना जिससे कि शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम को अन्य सरकारी/गैरसरकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके।
- शहर तथा जिला स्तर पर क्षेत्र भ्रमण जिससे कि सामुदायिक प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों को सर्पोट किया जा सकें।
- विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये प्रशिक्षण की रूपरेखा तथा प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार करना।
- एक्सपोजर विजिट की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।
- शहरी स्तर पर सामुदायिक प्रक्रिया गतिविधियों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना तथा उसके आयोजन के लिये वित्तीय व्यवस्था कराना।
- जिला तथा शहरी स्तर से प्राप्त शहरी आशा व महिला आरोग्य समिति की जानकारी को एकत्रित कर संधारित करना।
- शहरी आशा व महिला आरोग्य समिति की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना तथा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- सभी कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट निर्धारित समयावधि तक GOI को भेजना।

राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु संशोधित यात्रा भत्ता नियम

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11.12. 2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अनुक्रम में एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा सलाहकारों/अन्य संविदा कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर यात्रा भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1/ वर्गीकरण

श्रेणी	संविदा वेतन
(1)	(2)
ए	60,000 या उससे अधिक
बी	50,000 या उससे अधिक
सी	30,000 या उससे अधिक
डी	30,000 से कम

2/ दैनिक भत्ताः– यात्रा भत्ता नियमों में यात्रा की अवधि में मुख्यालय से अनुपस्थिति पर दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30) मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (पूरक नियम 55–ए अनुसार) दिया जाता है। राज्य वेतन आयोग के द्वारा मुख्यालय भत्ता तथा विशेष विराम भत्ते को समेकित कर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। तदानुसार समेकित दैनिक भत्ते की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल,इंदौर,जबलपुर,ग्वालियर, एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों (कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर) के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे के लिये दर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	200	300	400
बी	160	240	320
सी	120	180	240
डी	100	150	200

3/ यात्रा के साधनः–

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकनॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

4/ ठहरने की पात्रता :– शासकीय यात्रा के दौरान निम्नानुसार दरों पर ठहरने की सुविधा होगी।

श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा इन्दौर, भोपाल जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर (कालम 2 को छोड़कर) के स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के बाहर/महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां ठहरने पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए	4000	3000	2000	400
बी	3000	2250	1500	350
सी	2000	1500	1000	300
डी	1000	750	500	250

5/ प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय :–

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से यात्रा करने पर स्थानीय यात्राओं हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी।

श्रेणी	संविदा शुल्क अनुसार श्रेणी	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (रूपये में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1200	250
2	बी	800	200
3	सी	500	150
4	डी	300	100

6/ राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत राज्य शासन से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा निर्धारित ग्रेड वेतन अनुसार निर्धारित श्रेणियों के अनुक्रम में यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। प्रमुख सचिव एवं मिशन संचालक के यात्रा देयक वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होंगे।

7/ शासकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार हवाई यात्रा मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. की स्वीकृति से की जा सकेगी। प्रदेश के बाहर अथवा प्रदेश के अन्दर हवाई यात्रा हेतु मिशन संचालक, की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

समय सारणी

क्रं.	गतिविधियां	तिथि
1.	संभावित विज्ञापन प्रकाशन	अगस्त, 2014
2.	ऑनलाइन आवेदन किया जाना	22 अगस्त, 2014 से 05 सितंबर, 2014 तक
3.	एम.पी.ऑनलाईन द्वारा आवेदकों की वरीयता सूची की तिथि	सितंबर, 2014
4.	साक्षात्कार का समय	सितंबर, 2014
5.	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं चयनित आवेदकों की पदों पर नियुक्ति की संभावित तिथि	सितंबर 2014
6.	विभागीय पोर्टल पर वरीयता सूची (मेरिट सूची) का संभावित प्रकाशन	सितंबर 2014

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः-

ऑनलाइन सितंबर आवेदन एमपीआनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक द्वारा फार्म ऑनलाइन भरकर **परीक्षा शुल्क 85/- रुपये** का नगद भुगतान एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क एवं सीएससी के माध्यम से नगद किया जा सकता है या आवेदक शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एमपीआनलाइन के अधिकृत कियोस्क एवं सीएससी की सूची के लिये https://www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list link देखें।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः- आवेदक https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर क्लिक करें। इसके उपरांत Citizen Services link को क्लिक करें। अब उसे Online Assessment में क्लिक करने पर NRHM दिखाई देगा, इसे क्लिक करने पर निम्न लिंक दिखाई देंगी।

Click here to Online Apply
Pay for unpaid Application

इसके उपरात ही आवेदक **Click here to Online Apply को** क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गईं समस्त जानकारियां सही-सही भरना अनिवार्य है। **आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले बेवसाइट** पर में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो.हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो.हस्ताक्षर के प्रारूप हेतु लिंक पर क्लिक करे। क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर **jpg** या **gif** फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Browse** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो, हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाए। इसके उपरांत आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाने पर उन्हें परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो आप्शन दिखाई देंगेः.

1 क्रेडिट कार्ड।
2 इंटरनेट बैंकिंग।

- क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः. आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं प्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सह-सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें। फार्म भरते समय आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करना अनिवार्य है। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां पुनः अच्छी तरह पढ़

लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

- आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।
- जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म के परीक्षा शुल्क का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा नगद भुगतान कर सकता हैः-
- इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application** Link में उक्त जानकारी भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।
- आवेदक **ऑनलाइन आवेदन** की पावती की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखे, क्योंकि इसमें आवेदक का विवरण दर्ज है, जिसका उपयोग आवेदक ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एमपीऑनलाइन को डाक के माध्यम से भेजा जायेगा पोर्टल शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किया जावेगा, ऐसे आवेदनों के मान्य न करते हुए निरस्त कर दिये जावेंगे और उसकी जवाबदारी आवेदक की मानी जावेगी।